FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

जैसाराम थोरी बनाम धर्माराम

किस्म मुकदमा 88 धारा 88,188 Rt Act नं. 121/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/7/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/7/20 को पेश हो।	
22/07/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल होकर तामिल प्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 25/08/2020 को पेश हो।	
25/08/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या-1 की ओर से वकील श्री रिछपाल सियाग द्वारा वकालातनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1- जैसाराम पुत्र धर्माराम जाति-जाट निवासी- बायतु पनजी तहसील- बायतु व स्वतंत्र गवाह PW-2- पुराराम पुत्र श्री रूपाराम जाति- जाट निवासी- बायतु भोपजी तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1-	अनि. धर्माराम जैसाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

श्री मेहाराम जाति- जाट निवासी- बामड़ पनजी के शपथ- पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवादित अराजी पैतृक साबित होती है। अत: वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 121/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जैसाराम पुत्र धर्माराम 2. सिमरथाराम पुत्र धर्माराम 3. जुंजाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. धर्माराम पुत्र मेहाराम जाति जाट निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक : 25/08/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्व प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त व पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा बायतु पनजी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 690, 692, 774/691, 778/692 रकबा क्रमशः 2.9286, 9.9831, 3.8832, 0.3560 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार

सहायक कलक्टर बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

...ते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण मेहाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बायतु पनजी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 690, 692, 774/691, 778/692 रकबा क्रमशः 2.9286, 9.9831, 3.8832, 0.3560 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 25/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

1. जैसाराम पुत्र धर्माराम
2. सिमरथाराम पुत्र धर्माराम
3. जुंजाराम पुत्र धर्माराम
   जाति जाट निवासी बायतु पनजी
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. धर्माराम पुत्र मेहाराम
   जाति जाट निवासी बायतु पनजी
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–121/2020. निर्णय दिनांक :– 25/08/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25/08/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बायतु पनजी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 690, 692, 774/691, 778/692 रकबा क्रमशः 2.9286, 9.9831, 3.8832, 0.3560 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested